राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 217, 218, 219, 220, 221 एवं 222/2018.....जिला.....जोधपुर.....

मैसर्स विवान्ता बाय ताज हरी महल, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**	

अपीलार्थी द्वारा यह छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21/आरवेट/जेयूए/17–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.12.2016 को किया जाने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में संपादित फूड आईटम्स की बिक्री पर सर्विस के भाग को अलग करते हुए वैट योग्य बिल जारी किए गए है, जबकि सर्विस टैक्स की राशि पर विक्रय किये गये माल की दर अनुसार वैट की देयता बनती है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के वैट अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.09.2017 व संशाधित आदेश दिनांक 14.12.2017 को पारित करते हुए सर्विस टैक्स की राशि पर तद्नुसार कर, ब्याज व धारा 61 के तहत् शास्ति का आरोपण निम्न तालिका अनुसार किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वैट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के संयुक्त पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2018 से निम्न तालिकानुसार आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन देने से इंकार किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार हैः–

अ.सं.	अवधि	कुल मांग राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया स्थगन	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5
217/18	11–12	21,27,488	15,00,000	6,27,488
218/18	12–13	13,28,620	10,00,000	3,28,620
219/18	13–14	12,98,482	10,00,000	2,98,482
220/18	14–15	27,88,004	20,00,000	7,88,004
221/18	15–16	1,11,81,084	80,00,000	31,81,084
222/18	16–17	30,08,975	20,00,000	10,08,975

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 217, 218, 219, 220, 221 एवं 222/2018.....जिला.....जोधपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/02/2018	– 2 – अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त पाया कि प्रकरण में सर्विस टैक्स की राशि पर कर आरोपणीयता पर विधि का बिन्दु विवादित होने से **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–5** में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **(मदनलाल मालवीय)** **सदस्य** **(के.एल.जैन)** **सदस्य**	